

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, झवालीयार

समक्ष : श्री एम०के० सिंह

(४०)

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक २९१५ एंव २९१६-एक/२०१६

विरुद्ध आदेश दिनांक ११-८-२०१६ - पारित व्यारा -

तहसीलदार मुरैना जिला मुरैना - प्रकरण क्रमांक

१३/२०१५-१६ अ-२७ एंव प्रकरण क्रमांक १४/२०१५-१६

अ-२७

(१) दोनों निगरानी प्रकरणों के पक्षकार

रामनिवास पुत्र रामचरण ब्राह्मण

ग्राम शिकारपुर तहसील मुरैना

---आवेदक

विरुद्ध

१- ओमप्रकाश पुत्र रामचरण ब्राह्मण

ग्राम शिकारपुर तहसील मुरैना

---असल अनाचेतक

२- दिलीप कुमार ३- दंजय ४- शिशुपाल

५- बृजकिशोर ६- देशराज पुत्रगण लक्ष्मीनारायण

७- आशीष पुत्र दिलीपकुमार

८- श्रीमती अनिता पत्नि दिलीपकुमार

९- श्रीमती त्रिवेणी पत्नि लक्ष्मीनारायण

१०- मधु पुत्री लक्ष्मीनारायण

सभी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शिकारपुर

तहसील व जिला मुरैना मध्य प्रदेश

---तटीया अनाचेतकगण

L

-2- (1) प्र०क० २९१५-एक/१६ निग०
(2) प्र०क० २९१६-एक/१६ निग०

दोनों प्रकरणों में

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस०के० अवस्थी)
(अनावेदक क-१ के अभिभाषक श्री एस०के० बाजपेही)

आ दे श

(आज दिनांक ४ - १२ - २०१६ को पारित)

यह दो निगरानी तहसीलदार, मुरैना के १३/२०१५-१६
अ-२७ एंव प्रकरण क्रमांक १४/२०१५-१६ अ-२७ में पारित
आदेश दिनांक ११-८-२०१६ के विलम्ब मध्य प्रदेश भू राजस्व
संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

२/ प्रकरण क्रमांक २९१५-एक/१६ निगरानी का सारोऽश यह है
कि अनावेदक क्रमांक-१ ने आवेदक एंव अनावेदक क्रमांक-२
लगायत १० के बीच ग्राम सिकारपुर की भूमि सर्वे क्रमांक ४४६,
४४८, ४४९, ४५० एंव गोत व सर्वे क्रमांक २७४ रियत मकान
के बटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार मुरैना ने
प्रकरण क्रमांक १३ अ-२७/२०१५-१६ पर पंजीबद्ध करके कार्यवाही
प्रारंभ की। आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष उपरियत होकर इस
आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि उक्तांकित भूमि के सम्बन्ध स्वत्व
के विनिश्चय हेतु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-२ मुरैना के न्यायालय में
प्रकरण क्रमांक ३८ ए/१४ ई०दी० प्रचलित है इसलिये स्वत्व के
विवाद का निराकरण होने तक विभाजन कार्यवाही स्थगित की जाय।
तहसीलदार मुरैना ने इस आपत्ति आवेदन पर अंतरिम आदेश

मृ

४४

-3- (1) प्र०क० २९१५-एक/१६ निग०

(2) प्र०क० २९१६-एक/१६ निग०

दिनांक ८-११-१६ पारित किया तथा निर्णय लिया कि स्वत्व के सम्बन्ध में कोई प्रश्न न होना, स्थगन न होना पाया गया है। पटवारी मौजा से फर्द तलब हो। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

प्रकरण क्रमांक २९१६-एक/२०१६ निगरानी का सारोँश यह है कि अनावेदक क्रमांक-१ ने आवेदक एंव अनावेदक क्रमांक-२ लगायत १० के बीच ग्राम छोंदा की भूमि सर्वे क्रमांक १४४, १५४, ९७५ के बटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण क्रमांक १४ अ-२७/२०१५-१४ पर पंजीबद्व करके कार्यवाही प्रारंभ की। आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि उक्तांकित भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व के विनिश्चय हेतु व्यवहार व्यायाधीश वर्ग-२ मुरैना के व्यायालय में प्रकरण क्रमांक ३८ ए/१४ ई०दी० प्रचलित है इसलिये स्वत्व के विवाद का निराकरण होने तक विभाजन कार्यवाही स्थगित की जाय। तहसीलदार मुरैना ने इस आपत्ति आवेदन पर अंतरिम आदेश दिनांक ८-११-१६ पारित किया तथा निर्णय लिया कि स्वत्व के सम्बन्ध में कोई प्रश्न न होना, स्थगन न होना पाया गया है। पटवारी मौजा से फर्द तलब हो। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

३/ दोनों निगरानी मेमो में अंकित आधारों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा तहसीलदार मुरैना के प्रकरण क्रमांक १३ अ-२७/२०१५-१६ एंव १४ अ-२७/२०१५-१६ में आये तथ्यों का अवलोकन किया गया।

४/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव

(MM)

R
1/14

-4- (1) प्र०क० २९१५-एक/१६ निग०
(2) प्र०क० २९१६-एक/१६ निग०

तहसीलदार मुरैना के प्रकरण क्रमांक १३ अ-२७/२०१५-१६ एंव
१४ अ-२७/२०१५-१६ में आये तथ्यों के अवलोकन पर सिद्धि
यह है कि अनावेदक ओमप्रकाश पुत्र रामचरण ने तहसीलदार के
समक्ष उपरोक्त पद ३ में वर्णित अनुसार ग्राम शिकारपुर एंव ग्राम
छोंदा की भूमि के बटवारे का दावा किया है जिस पर आवेदक की
आपत्ति है कि जब तक व्यवहार व्यायाधीश वर्ग-२ मुरैना के
व्यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ३८ ए/१४ ई०दी० संस्थित
दिनांक २-५-१६ से स्वत्व का विनिश्चय नहीं हो जाता है वाद
विचारित भूमियों का बटवारा नहीं किया जा सकता, जबकि
तहसीलदार मुरैना का आदेश दिनांक ११-८-२०१६ में मानना, कि
स्वत्व के सम्बन्ध में कोई प्रश्न न होना, स्थगन न होना पाया
गया है, इसलिये बटवारा कार्यवाही की जावेगी और यही निर्णय
लेकर उन्होंने हलका पटवारी से बटवारे की फर्द मांगी है।
अनावेदक व्दारा प्रस्तुत व्यवहार व्यायाधीश वर्ग-२ मुरैना के
व्यायालय के प्रकरण क्रमांक ३८ ए/१४ ई०दी० संस्थित दिनांक
२-५-१६ में हुये आदेश दिनांक २७-८-१८ की प्रमाणित
प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें निर्णीत है कि -

” उपरोक्त विवेचना से यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि वादी (निगरानी का आवेदक) ग्राम छोंदा की वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्र-१ (निगरानी का अनावेदक क्र-१) के विरुद्ध प्रस्तुत वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के तीनों आधारभूत स्तंभ प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणाम स्वरूप वादी का आवेदन पत्र आदेश ३९ नियम १ से २ सी पी सी आई ए नं. १ आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रतिवादी क्र-१ के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह ग्राम छोंदा के सर्वे नंबर १४४, १५४, १७५ में अपने अंश का बटवारा कराये बिना किसी विनिष्ट भाग को विक्रय न करे और न ही किसी अन्य अंतरण करे। ”

✓

1/2

-5- (1) प्र०क० २९१५-एक/१६ निग०
(2) प्र०क० २९१६-एक/१६ निग०

जब मान. व्यवहार व्यायाधीश वर्ग-२ मुरैना के व्यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ३८ ए/१४ ई०दी० संस्थित दिनांक २-५-१६ में हुये आदेश दिनांक २७-८-१८ से वादी (आवेदक) का आवेदन पत्र आदेश ३९ नियम १ से २ सी पी सी आई ए नं. १ आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिये गये हैं कि जब तक ग्राम छोंदा के सर्वे नंबर १४४, १५४, १७५ में अपने अंश का बटवारा कराये बिना किसी विनिष्ट भाग को विक्य न करे और न ही किसी अन्य अंतरण करे। मानवीय व्यायालय द्वारा तहसीलदार को बटवारा कार्यवाही करने से निषेधित नहीं किया है जिसके कारण द्वारा तहसीलदार मुरैना द्वारा अंतरिम आदेश दिनॉक ११-८-२०१६ से लिया गया निर्णय उचित प्रतीत होता है।

५/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक १३ अ-२७/ २०१५-१६ एंव १४ अ-२७/ २०१५-१६ में पारित आदेश दिनांक ११-८-२०१६ उचित पाये जाने से यथावत् रखे जाते हैं एंव दोनों निगरानी प्रकरण निरस्त किये जाते हैं।

(एम०क००सिंह)
संदर्भ
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश गवालियर